160 28.9.22

28.9.22 पत्रावली पेश। पैरोकार उभयपक्ष उप०। वाद पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि न्यायहित में वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अत:

वादी का वाद पत्र अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल द.फ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28-01-22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अभिलाषा
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना